



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1990]

नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 25 2010/आश्विन 3, 1932

No. 1990]

NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 25, 2010/ASVINA 3, 1932

गृह मंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)

(OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL OF INDIA)

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2010

New Delhi, the 22nd September, 2010

का.आ. 2341(अ).—जनगणना अधिनियम, 1990 के नियम 6क के साथ पठित जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का 37) की धारा 3 तथा धारा 17क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, भारत सरकार गृह मंत्रालय की दिनांक 25 फरवरी, 2010 के का.आ. 517(अ) के तहत जारी अधिसूचना में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः :—

S.O. 2341(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 and section 17A of the Census Act, 1948 (37 of 1948), read with rule 6A of the Census Rules, 1990, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Home Affairs, vide number S.O. 517 (E), dated the 25th February, 2010, namely:—

कथित अधिसूचना में “और संघ राज्यक्षेत्रों” शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, नामतः :—

In the said notification after the words “and Union Territories.”, the following proviso shall be inserted, namely:—

“बशर्ते कि छत्तीसगढ़ राज्य के 4 जिलों नामतः :— बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर तथा नारायणपुर में भारत की जनगणना-2011 के मकानसूचीकरण कार्य की अवधि 31 अक्टूबर, 2010 तक विस्तारित की जाती है।”

“Provided that the period of Houselisting Operations of Census of India 2011 is extended up to the 31st October, 2010 in four districts namely Bastar, Dantewada, Bijapur and Narayanpur of the State of Chhattisgarh.”

[F. No. 9/7/2009-CD (CEN)]

[फा. सं. 9/7/2009-सीडी (सेन)]

C. CHANDRAMOULI, Registrar General
& Census Commissioner of India

च. चन्द्रमौलि, भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त